


30/8/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक ~~8/8/24~~ को पेश हो।



18/10/24

पत्रावली पेश हुई। ~~वादी~~ वादी आदि।
अपेक्षा) वादी आधिकारता द्वारा प्रतिवादी गण
के सम्मन तलबाने पेश नहीं किये गये
हैं। आदिना तारीख जैसी पर सम्मन
तलबाना पेश नहीं किये जा पत्रावली
का नियमानुसार निरन्तर का दिना
वापसगा। पत्रावली वादते सम्मन
तलबाना। प्रतिवादी गण की तलबी
हेतु दिनांक 11/11/24 को पेश हो।



11/11/24

पत्रावली पेश हुई। वादी आधिकारता अनु।
बादी प्रतिवादी गण की तलबी हेतु वाद
पत्र पेश किये के उपरान्त निरन्तर अर्था
दिये जाने के बावजूद भी सम्मन तलबाने
पेश नहीं किये हैं। वादी / वादी आधिकारता
द्वारा प्रतिवादी गण की तलबी हेतु सम्मन
तलबाने पेश नहीं किये जाना सिविल
प्रक्रिया संश्लेषण 1908 के आदेश 9 के
वाध्यकारी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन
है। अतः वादी / वादी आधिकारता द्वारा

338/2012

तारीख
हुम


हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुम को तामील
में जारी हुए

कमला v। s. नारायण वर्मा.

11/11/24

मिस्टर जस्टिस कांठिया के आदेश
9 नियम 5 के अनुसारं जारीवादीगण
की तलबी हेतु सम्मन - तलबाने
पेश नहीं किये जाने के कारण वादी
द्वारा राजस्थान काइलकारी आदिनियम
1955 की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत
उत्तुत वाद की शर्जिज किया जाता
है नियम 5 से इजलास सुनाया गया
प्रभावली फैसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर ही तथा नम्बर से कम ही।


सायब कलामर
भोलवाड़ा